न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 91/2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

अप्रार्थी–1
योगेश गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता (रिटेलर)
मैसर्सः–गुप्ता सैल्स कॉर्पोरेशन, लालाजी बालाजी मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 14, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी–2
आशीष अग्रवाल पुत्र मोहनलाल (सूपर स्टॉकिस्ट)
मैसर्सः–मोहनलाल आशीष कुमार, सी एण्ड एफ मॉडर्न डेयरी लिमिटेड, कोचरों की गली अल्ख सागर रोड़, कोट गेट, बीकानेर
निवासीः–नजदीक ए0के0 टाइल फैक्टरी, रानी बाजार, बीकानेर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

–अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री प्रतापसिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

–:निर्णयः–

दिनांक :–06.09.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 14.03.2023 को समय सायं 05.20 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–गुप्ता सैल्स कॉर्पोरेशन, लालाजी बालाजी मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर योगेश गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता (विक्रेता) निवासी–वार्ड नं. 14, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते कार्टून में लगभग 36 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Cow Ghee (Shweta Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Cow Ghee (Shweta Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Shweta Brand) के खरीद मूल का 1120/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Cow Ghee (Shweta Brand) पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके–2496 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2496 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार धागे से बांधकर चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.10 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 313 दिनांक 27.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6341–42 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12724 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता/रिटेलर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Shweta Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित रिटेलर ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार, सी एण्ड एफ–मॉडर्न डेयरी लिमिटेड, कोयला गली, अल्ख सागर रोड़, कोट गेट, बीकानेर से क्रय करना बताया। जिसका इनवाईस नं. 1289 दिनांक 28.01.2023 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/16752 दिनांक 10.10.2023 द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Shweta Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। परंतु संबंधित सूपर स्टॉकिस्ट द्वारा खाद्य लाइसेंस, आधार कार्ड, फर्म का जीएसटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया परंतु क्रय बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Shweta Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Shweta Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा उपस्थित होकर बहस की गई कि फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री, बीकानेर की खाद्य रिपोर्ट में नमूने को मिसब्राण्डेड फूड घोषित किया है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, धारा 52 व धारा 54 का उल्लंघन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 (2) में सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ प्रदान किया जावे। अंत में अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा उक्त कार्यवाही को ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Shweta Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Cow Ghee (Shweta Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 3,000/–(अखरे रूपये तीन हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–2 पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) एवं इस [illegible] (अखरे रूपये तेरह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है [illegible] ई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, [illegible] से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद [illegible] पक्ष को भिजवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.10 18:32:29 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाक[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़